वित्तीय सांख्यकीय प्रभाग-

राज्य के समस्त विभागों में मुख्यालय एवं जनपद स्तर पर बजट साहित्य के अनुरूप उनके द्वारा किये गये आहरण जो विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं मानव संसाधन एवं विकास के लिये किये गये हों, का लेखा कोषागारों से प्रतिमाह प्रापत करके उसको आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के आउटपुट के रूप में तैयार करके शासन स्तर पर तथा महालेखाकार के स्तर पर तथा समय-समय पर माननीय मुख्य मंत्री जी के स्तर पर की जाने वाली समीक्षा बैठकों में उपयोग हेतु वैज्ञानिक ढंग से तैयार करके वित्तीय सांख्यकीय प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इससे राज्य की वित्तीय समीक्षा एवं आवश्चकतानुरूप संसाधनों का उपयोग प्रभावशाली ढंग से कराने एवं व्यय के नियंत्रण में नजदीकी दृष्टि से नियंत्रण में सहायता होती है।

शासनादेश संख्या आई0एफ0/प्राविधिक-3-73-1301, दिनांक 30 अप्रैल, 1973 द्वारा वित्तीय साख्यंकीय निदेशालय की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्य के लिये हुयी थी:-

1- कोषागारों के लेखा कार्य के भार को शासकीय आधार सामग्री केन्द्र पर केन्द्रीययन्त्रीकरण द्वारा कम करना,

2- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा, महालेखाकार उत्तर प्रदेश और वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोषागारों के लेखों पर जारी किये गये निर्देशों और कार्यविधि संबंधी आदेशों पर कोषागारों को अघावधिक मार्ग दर्शन करके कोषागारों के लेखों के सुधार कराना और दुर्वर्गीकरण को कम करना,

3- कोषाधिकारियों और कोषागारों के स्टाफ को भारत सरकार के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक की लेखाशीर्षकों के योजना से भली भॉति परिचित कराना और उनके अनुपालन के लिये प्रेरित करना ताकि कोषागार लेखों में उपरोक्त प्राधिकारियों के वर्तमान स्थायी आदेशों के अनुसार आयोजनेत्तर और आयोजनागत व्यय के आंकडों को स्पष्टत: अलग-अलग दिखाया जाय और उस व्यय की आगे लघु लेखाशीर्षकवार, विस्तृत लेखाशीर्षकावार, प्राथमिक इकाईवार, योजनावार और आहरण-वितरण अधिकारी वार विघटित भी किया जा सके,

4- कोषागारों और चेक जारी करने वाले विभागों से वास्तविक प्रासि व व्यय के आंकडे प्राप्त करके शासन को उपलब्ध कराना ताकि वित्त विभाग द्वारा बेहतर व्यय नियंत्रण और उपलब्ध धनराशि का बेहतर प्रयोग किया जा सके,

5- कम्प्यूटर द्वारा बजट अनुमानो के मौलिक आंकडे तैयार करना और

6- अन्य विभागों, जेसे शिक्षा, पुलिस, परिवहन आदि के आधार सामग्री विधायन करना।

शासनादेश संख्या-ए-3/1061/दस-सा0प0/प्राविधिक/102-7-सा0प0/76, दिनांक 10 मार्च, 1976 के द्वारा वित्तीय सांख्कीय निदेशालय स्तर से साख सीमा सम्बन्धित लेखों के लिये कोड आंवटन का अधिकार भी प्रदत्त हुआ था। उत्तराखण्ड राज्य में उक्त निदेशालय कोषागार निदेशालय में एक सेल के रूप में स्थापित है।